पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2022 ई0 (कार्तिक 21, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–46

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	861–901	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	841–842	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	559–573	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 1157/XX-1/2022-01(15)2021टी.सी.–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा 3 सपठित धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड (क) एवं (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) "नियुक्ति" प्राधिकारी से निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक आरमोरर की दशा मे पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी व आरक्षी आरमोरर की दशा में पुलिस अधीक्षक/सेनानायक या समकक्ष अधिकारी अभिप्रेत है।	(क) "नियुक्ति" प्राधिकारी से निरीक्षक, उपनिरीक्षक आरमोरर तथा अपर उपनिरीक्षक आरमोरर की दशा मे पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी व आरक्षी आरमोरर की दशा में पुलिस अधीक्षक/सेनानायक या समकक्ष अधिकारी अभिप्रेत है।
(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर, उपनिरीक्षक आरमोरर एवं निरीक्षक आरमोरर की सेवा अभिप्रेत है।	(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी, आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर, अपर उपनिरीक्षक आरमोरर, उपनिरीक्षक आरमोरर एवं निरीक्षक आरमोरर की सेवा अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उप नियम 2 में उपनियम (क) का अन्तःस्थापन एवं उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

"(2)(क) <u>अपर उप निरीक्षक आरमोरर–</u> अपर उपनिरीक्षक आरमोरर के रिक्त पदों को शत–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर से जिनकी मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो चुकी हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।"

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उपनिरीक्षक आरमोरर–उपनिरीक्षक आरमोरर के पद नियम 11 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी आरमोरर मे से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगें।	(3)उपनिरीक्षक आरमोरर– उपनिरीक्षक आरमोरर के पद नियम 11 में उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले अपर उपनिरीक्षक आरमोरर मे से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगें।

नियम 10 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के खण्ड (क) में दिये गये शब्दों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
10(क) मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन हेतु चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थातः–	(क) मुख्य आरक्षी आरमोरर एवं अपर उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थातः–

नियम 11 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(ग) अपर उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों।

नियम 13 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के उपनियम (i) एवं उपनियम (iii) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(i) आरक्षी आरमोरर के पद पर चयनित आरक्षियों को 02 माह का आरमरी से सम्बन्धित विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रीय आयुद्वशाला 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर में दिया जायेगा।	(i) आरक्षी आरमोरर के पद पर चयनित आरक्षियों को 02 माह का आरमरी से सम्बन्धित विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रीय आयुद्वशाला 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0 रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर या इसके समकक्ष प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
(iii) ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर जिनका चयन नियम 10 में उल्लिखित प्रक्रिया के अधीन किया गया है, उन्हे निम्नलिखित अर्हतायें/पात्रता पूर्ण करने पर आरमोरर ग्रेड II या समकक्ष आयुद्व प्रशिक्षण में सम्मिलत किया जायेगाः– (क) मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) किसी प्रकार की विभागीय/न्यायिक कार्यवाही/सीआईडी/सतर्कता जॉच लम्बित / प्रचलित न हो। (ग) ग्रेड–II की महत्ता/उपयोगिता के दृष्टिगत सुयोग्य कार्मियों के चयन के लिये निम्नलिखित अधिकारियों की चयन समिति गठित की जायेगीः– (1) पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का 01 – सदस्य। (2)पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी –सदस्य (3) पुलिस उपाधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी– सदस्य। (घ) चयन समिति द्वारा कुल 100 अंकों की परीक्षा करायी जायेगी, जो निम्नवत होगीः–	(iii) अपर उपनिरीक्षक आरमोरर मे से अनुपयुक्तों को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर आरमोरर ग्रेड–II कोर्स कराया जायेगा।

(1) लिखित परीक्षा(50अंक):– लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र चयन समिति द्वारा तैयार किया जायेगा, जो शस्त्रों एवं पुर्जो के सम्बन्ध में होगें। उक्त लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक ग्रेड–II कोर्स हेतु पात्र होगें।

(2) तकनीकी परीक्षा (50 अंक) (i) इस परीक्षा के लिए निम्नलिखित तीन भाग होंगे:– (क) पेचिग– 10 अंक,

(ख) शस्त्रों को खुलवाना, जोड़ना व रिपयेरिंग– 20 अंक

(ग) पुर्जों का ज्ञान– 20 अंक

(ii) उक्त तकनीकी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक ग्रेड–II के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

परीक्षाफल:– लिखित एंव तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार कर ली जायेगी। चयन समिति द्वारा कुल उपलब्ध पदो के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर वरिष्ठता क्रम में प्राप्त सीटों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को ग्रेड–II या उसके समकक्ष आयुधिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

नियम 14 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्व किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/जॉच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो अथवा किसी प्रकार की अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, को भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति रैंकर परीक्षा मे सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कार्मिक की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है, तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा मे उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही	(क) ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्व किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/जॉच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो अथवा किसी प्रकार की अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, को भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कार्मिक की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है, अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग मे दण्डित होता है, तो सम्बन्धित कर्मी इसके विरूद्व कोई रिट याचिका दायर करता है और सम्बन्धित कर्मचारी रिट याचिका दायर करने सम्बन्धी सूचना से विभाग को समय से अवगत कराने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका/

	समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कार्मिक का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्यशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।	अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा मे उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कार्मिक का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्यशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

नियम 15 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होनें मौलिक पद(आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उपनिरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) के कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं वे सहायक उपनिरीक्षक(एम) की भांति वर्दी धारण करेंगें।	अपर उपनिरीक्षक पद हेतु कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अपर उपनिरीक्षक पदधारक उपनिरीक्षक की भॉति वर्दी धारण करेंगें, मात्र सीटी डोरी काले रंग की होगी।

नये नियम 17 क का अन्तःस्थापन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"17 क पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त कर्मियो की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ तथा एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।"

नियम 21 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

क.सं.	पदनाम	वेतनमान
1	निरीक्षक आरमोरर	वेतन लेवल–8 47600–151100
2	उपनिरीक्षक आरमोरर	वेतन लेवल–7 44900–142400
3	मुख्य आरक्षी आरमोरर	वेतन लेवल–4 25500–81100
4	आरक्षी आरमोरर	वेतन लेवल–3 21700–69100

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

क.सं.	पदनाम	वेतनमान
1	निरीक्षक आरमोरर	वेतन लेवल–8 47600–151100
2	उपनिरीक्षक आरमोरर	वेतन लेवल–7 44900–142400
3	अपर उपनिरीक्षक आरमोरर	वेतन लेवल–6 35400–112400
4	मुख्य आरक्षी आरमोरर	वेतन लेवल–4 25500–81100
5	आरक्षी आरमोरर	वेतन लेवल–3 21700–69100

pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1157/XX-1/2022-01(15)2021 T.C., Dated October 20, 2022 for general information.

NOTIFICATION

October 20, 2022

No.1157/xx-1/2022-01(15)2021 T.C.--In exercise of the powers conferred by section 3 read with sub-section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act no. 1 of 2008), the Governor is makes the following rules with a view to amend the Uttarakhand Police Armourer Unit Service Rules, 2019:-

The Uttarakhand Police Armourer Unit Service (Amendment) Rules, 2022

Short title and commencement **1.** (1) These rules may be called the Uttarakhand Police Uttarakhand Police Armourer Unit Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 3 **2.** In the Uttarakhand Police Armourer Unit Service Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing clause (a) and (i) of rule 3 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing Clause**	**Column 2** **Clause here by substituted**
(a) "Appointing Authority" means the Deputy Inspector General of Police in respect of Inspector and Sub-Inspector, Armourer and Superintendent of Police/ Commander in respect of Head Constable and Constable; (b) "Service" means the Uttarakhand Police Constable Armourer, Head Constable Armourer, Sub-Inspector Armourer and Inspector Armourer;	(a) "Appointing Authority" means the Deputy Inspector General of Police in respect of Inspector and Sub-Inspector, Armourer and Additional Sub-Inspector and Superintendent of Police/Commander in respect of Head Constable and Constable; (b) "Service" means the Uttarakhand Police Constable Armourer, Head Constable Armourer, Additional Sub-Inspector Armourer, Sub-Inspector Armourer and Inspector Armourer.

Amendment of rule 5 **3.** In the principal rule, a new clause (a) of sub-rule (2) of rule 5 shall be inserted for the sub-rule (3) set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

"(2) (a) **Additional Sub-Inspector Armourer:-** Vacant posts of Additional Sub-Inspector Armourer shall be filled by promotion amongst such Head Constable Armourer, who have completed 2 years of qualifying service in the post of Head Constable Armourer, on the basis of 100 percent seniority, subject to the rejection of unfit."

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
(3) Sub-Inspector Armourer:- The posts of Sub-Inspector Armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority, subject to the subject to the rejection of unfit amongst Head Constable Armourer, who fulfill the criteria as given in rule 11.	(3) Sub-Inspector Armourer:- The posts of Sub-Inspector Armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit amongst Additional Sub-Inspector Armourer, who have fulfill the criteria as given in rule 11.

Amendment of rule 10

4. In the principal rule, for the existing clause (a) of rule 10 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing clause	Column 2 Clause here by substituted
10(a). For selection of the posts of Head Constable Armourer, the selection committee shall consist of the following incumbent, namely:-	10(a). For selection of the posts of Sub-Inspector Armourer, the selection committee shall consist of the following incumbent, namely:-

Amendment of rule 11

5. In the principal rule, for the existing sub-rule (c) of rule 11 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
(c) Must have completed five years service on the post of Head Constable Armourer.	(c) Must have completed 2 years service on the post of Sub-Inspector Armourer.

Amendment of rule 13

6. In the principal rule, for the existing sub-rule (i) and sub-rule (iii) of rule 13 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
(i) The constable selected on the post of Constable Armourer shall be given departmental training of two months regarding armourery in Central Arsenal 31st battalion P.A.C. Rudrapur, Udham Singh Nagar.	(i) Constables selected on the post of Constable Armourer must have get trained of two months regarding armourery from the departmental training Central Arsenal 31st battalion P.A.C. Rudrapur, Udham Singh Nagar or equivalent training centre thereof.
(ii) After appointment on the post of Constable Armourer, Grade I course of army shall be provided on the basis of seniority.	(ii) Armourer Grade-II course shall be conducted amongst the Additional Sub-Inspector Armourer on the basis of seniority, subject to the

(iii) Such Head Constable Armourer whose selection has been made under the procedure mentioned in rule 10, fulfilling the following qualification/eligibility shall be included in grade II armament training:-	rejection of unfit.
(a) Must have completed three years service on the post of Head Constable Armourer.	
(b) No departmental/ judiciary/CID/ Vigilance inquiry of any kind has been pending	
(c) In view of importance/usefullness of grade II following selection committee of officer will be constituted for the selection of eligible personal.	
1. One Deputy Inspector General of Police level officer Member	
2. One Superintendent of Police/ Additional Superintendent Police level officer Member	
3. One Deputy Superintendent of Police level officer Member	
(d) The selection committee shall conduct examination of 100 marks who shall be as follows :-	
1. **Written examination (50 marks)**:- For the written examination the question paper shall be prepared by the selection committee consisting of question regarding Arms and their parts. In aforesaid written examination personnel who gets 50 percent marks will be eligible for grade II course.	

2. **Technical examination (50 marks)**

(1) this examination be in 3 parts as under:-

(a) Punching-10 marks

(b) Opening of arms joining and repairing- 20 marks

(c) knowledge of parts- 20 marks

(ii) In the aforesaid technical examination personnel who get 50% marks will be eligible for training of grade II course.

Result- On the basis of total marks obtained in written and technical examination, the merit list shall be prepared. The merit list shall be provided to Police Headquarters by the selection committee with respect to total number of available seats on the basis of order of seniority eligible candidates shall be send for Grade II armament training or equivalent to it.

Amendment of rule 14

7. In the principal rule, for the existing rule 14(a) as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(a) Such personnel against whom any departmental proceedings/ inquiry is pending or prosecution is registered or any kind of appeal is pending or the period of appeal has not elapsed shall also be conditionally included in the promotion ranker examination on the basis of seniority, If the personnel's appeal is rejected/cancelled from the middle of the examination process, he/she shall be excluded from the selection	(a) Such personnel against whom any departmental proceedings/ inquiry is pending or offence is registered or any kind of appeal is pending or the period of appeal has not elapsed shall also be conditionally included in the promotion on the basis of seniority, If the personnel's appeal is rejected/cancelled from the middle of the promotion process or is punished in the departmental proceedings/ prosecution, then concerned personnel files any

process at that level, If the candidate's appeal / departmental proceedings / writ petition is not disposed of during the examination promotion process, his promotion result will be sealed in the envelope in anticipation of the decision of the pending appeal departmental proceedings. Only after the appeal/ departmental proceedings are over or the final decision is taken in the case, the sealed envelope of the concerned personnel shall be opened, corresponding to the decision. Suspended personnel shall also be included in the promotion process in anticipation of the decision.	writ petition against them, and concerned personnel is fail to inform regarding filing the writ petition to the department on time, then, he/she shall be excluded from the selection process at that level, If the candidate's appeal / departmental proceedings / writ petition is not disposed of during the examination promotion process, his promotion result will be sealed in the envelope in anticipation of the decision of the pending appeal departmental proceedings. Only after the appeal/departmental proceedings are over or the final decision is taken in the case, the sealed envelope of the concerned personnel shall be opened, corresponding to the decision. Suspended personnel shall also be included in the promotion process in anticipation of the decision.

Amendment of rule 15

8. In the principal rule, for the existing rule 15 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
Such trained Head Constable who have rendered 16 years of satisfactory service on substantive post (including that the post of Constable) and have been sanctioned the pay-scale equivalent to the post of Sub-Inspector shall be designated to the post Head Constable (promotional pay-scale). The uniform and duty of the Head Constable (promotional pay-scale) shall be wear the uniform as Assistant Sub-Inspector (M).	Works for the post of Additional Sub-Inspector shall be determined by the Head of the Department. Additional Sub-Inspector incumbent shall wear uniform like Sub-Inspector, only string of whistle shall black colour.

Amendment of rule 17

9. In the principal rule, after existing rule 17 as set out in column-1 below, sub-rule (a) shall be inserted as follows, namely:-

"17A On the basis of seniority of the personnel appointed by promotion, the promoted seniority shall be determined from the date of their selection and the personnel selected in the previous year are senior to the selected personnel in the subsequent year and the inter se seniority of the personnel appointed on a selection date in their feeder cadre commensurate with seniority."

Amendment of rule 21 10. In the principal rule, for the existing rule 21 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule			Column 2 Rules here by substituted		
Sl. No.	**Designation**	**Pay Scale**	**Sl. No.**	**Designation**	**Pay Scale**
1.	Inspector Armourer	Pay Level-8 47600-151100	1.	Inspector Armourer	Pay Level-8 47600-151100
2.	Sub-Inspector Armourer	Pay Level-7 44900-142400	2.	Sub-Inspector Armourer	Pay Level-7 44900-142400
3.	Head Constable Armourer	Pay Level-4 25500-81100	3.	Additional Sub-Inspector Armourer	Pay Level-6 35400-112400
4.	Constable Armourer	Pay Level-3 21700-69100		Head Constable Armourer	Pay Level-4 25500-81100
				Constable Armourer	Pay Level-3 21700-69100

अधिसूचना

प्रकीर्ण

20 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 1158/XX-1/2022-01(15)2021टी.सी.—राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड (क) एवं (ट) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) "नियुक्ति" प्राधिकारी से आरक्षी व मुख्य आरक्षी पुलिस घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है तथा उपनिरीक्षक घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक अभिप्रेत है,	(क) "नियुक्ति" प्राधिकारी से आरक्षी व मुख्य आरक्षी पुलिस घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है तथा उपनिरीक्षक एवं अपर उपनिरीक्षक घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक अभिप्रेत है,
(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस सेवा अभिप्रेत है।	(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड आरक्षी, मुख्य आरक्षी, अपर उपनिरीक्षक एवं उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस सेवा अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में विद्यमान नियम–5 के खण्ड (ख) एवं (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) (1) मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित करते हुए घुड़सवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(ख) (1) मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के शत्–प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित करते हुए घुड़सवार पुलिस संवर्ग में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
(2) मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पदो पर चयन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से जिनके द्वारा "एडवांस कोर्स चयन परीक्षा" उत्तीर्ण कर ली हो तथा घुड़सवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(2)विलोपित
	(3) **अपर उपनिरीक्षक** – अपर उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों को शत–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर ऐसे मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस जिनकी मुख्य आरक्षी घुड़सवार के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो चुकी हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
(ग) (1) उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित करते हुए घुड़सवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(ग) (1) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के शत्–प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त अपर उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,
(2) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से ऐसे मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेगें, जिन्होनें भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(2) विलोपित

टिप्पणीः–अर्हकारी प्रकृति की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर ही उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

नियम 8 का संशोधन

4. मूल नियमावली में विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–8 (1) मुख्य आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रियाः–मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50% अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर तथा 50% पदोन्नति एडवांस चयन परीक्षा" उत्तीर्ण करने पर आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से प्रोन्नत किये जाऐंगे। (I) निम्नलिखित पात्रता शर्ते पूर्ण करने वाले आरक्षी घुड़सवार पुलिस एडवांस कोर्स के लिए विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होगेः– (क) आयु– चयन वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो। (ख) अनुभव–आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर भर्ती के वर्ष के पहले दिन को न्यूनतम 05वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो। (I)(ग) सेवा अभिलेख– विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो। यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो ऐसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन परीक्षा परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त /अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। विगत 05 वर्ष से पूर्व के 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी। (II) चयन समिति– पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा टिप्पणी विलोपित ।	(1) मुख्य आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रियाः–मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों को शत् प्रतिशत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नत किये जाऐंगे। (I) (ग) सेवा अभिलेख– विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य/ परिनिन्दा लेख अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो। (II) चयन समिति– चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होगेः– (क)पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष (ख)पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर के अधिकरी – सदस्य। (ग)अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी समिति की सहायतार्थ आवश्यकातानुसार नामित किये जायेगे। उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा। (क) अपर उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस (I) सेवा अभिलेख– विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य/परिनिन्दा लेख अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो। (II) चयन समिति– चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होगेः– (क)पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष (ख)पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर के अधिकरी – सदस्य। (ग)अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी समिति की सहायतार्थ आवश्यकातानुसार नामित किये जायेगे।

का आयोजन पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होगेः–

(क) पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर के अधिकरी – सदस्य।

(ग) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी

समिति की सहायतार्थ आवश्यकातानुसार नामित किये जायेगे।

उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा।

(III)**लिखित परीक्षा**–लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी **परिशिष्ट–2** में निर्धारित है।

(IV) **परीक्षाफल की घोषणाः–** लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तथा प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अन्तिम योग्यता सूची चयन समिति द्वारा श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(V) **मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर प्रोन्नति, प्रशिक्षणः–** उपरोक्त विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कर्मियों को 03 माह का एडवांस कोर्स कराया जायेगा, जिसमें उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनके द्वारा किये गये एडवांस प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले आरक्षियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके आरक्षी पद पर सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी।

(VI) **मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर चयनः–** मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर प्रादेशिक स्तर पर हुये रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

(2) उपनिरीक्षक घुड़सवार के पदों पर पदोन्नति की प्रकियाः–

(1) **सेवा अवधिः–**मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा होनी अनिवार्य है।

(2) **आयु का निर्धारणः**–घुड़सवार पुलिस के उपनिरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नति के लिए भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को आंयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो।

उपरोक्त अर्हताए पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर चयन हेतु आयोजित प्रादेशिक योग्यता परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह होगेः–

उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा।

(2) उपनिरीक्षक घुड़सवार के पदों पर पदोन्नति की प्रकियाः–

(1) **सेवा अवधिः–** अपर उप निरीक्षक घुड़सवार के पद पर 01 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका हो।

(2) विलोपित।

(3) संख्या का निर्धारण एवं चयन समिति का गठनः–प्रत्येक भर्ती वर्ष में उपनिरीक्षक की विद्यमान रिक्तियों व वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों की गणना की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा नामित चयन समिति द्वारा अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन विभागीय परीक्षा

आयोजित की जायेगी तथा उपरोक्तानुसार निर्धारित संख्या में पदोन्नति हेतु मुख्य आरक्षियों को अनुमोदित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी घुड़सवार से उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगीः–

1–पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक – अध्यक्ष।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्ष – सदस्य।

3–पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक – सदस्य।

उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा।

(4) गठित चयन समिति लिखित, वाहय परीक्षा आयोजित करायेगी तथा सेवाभिलेखों का मूल्यांकन करेगी। समिति इस हेतु किसी घुड़सवारी की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ को भी शामिल कर सकती है।

(5) **लिखित परीक्षाः**–लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी होगी, **जैसी परिशिष्ट–3** में निर्धारित है।

(6) **परीक्षाफल की घोषणाः**– लिखित बाह्य परीक्षा, सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा आरक्षित वर्गो के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियों में से रिक्तियों के समतुल्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए परीक्षाफल पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन के पश्चात घोषित किया जायेगा।

(7) अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

नियम 9 का संशोधन

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

9 पदनाम के सम्बन्ध में उपबन्ध

ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होनें मौलिक पद(आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के

(3) संख्या का निर्धारण एवं चयन समिति का गठनः–प्रत्येक भर्ती वर्ष में उपनिरीक्षक की विद्यमान रिक्तियों व वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों की गणना की जायेगी। अपर उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस से उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगीः–

1–पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक –अध्यक्ष।

2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक –सदस्य।

3–पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक –सदस्य।

उपरोक्त में से कम से कम 01 अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा।

5. मूल नियमावली में विद्यमान नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

9. **अपर उप निरीक्षक के वर्दी एवं कार्यों का निर्धारणः** अपर उपनिरीक्षक पद हेतु कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अपर उपनिरीक्षक पदधारक उपनिरीक्षक की भॉति वर्दी धारण करेंगें, मात्र सीटी डोरी काले रंग कीहोगी।

संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उपनिरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) के कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं वे सहायक उपनिरीक्षक(एम) की भांति वर्दी धारण करेंगें।

नियम 9 ख का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–9 ख के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्व किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/ जॉच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो अथवा किसी प्रकार की अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, को भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति रैंकर परीक्षा मे सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कार्मिक की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है, तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ रिट याचिका परीक्षा पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा मे उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कार्मिक का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।	(ख) ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्व किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/जॉच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो अथवा किसी प्रकार की अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, को भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कार्मिक की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है, अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग मे दण्डित होता है, तो सम्बन्धित कर्मी इसके विरूद्व कोई रिट याचिका दायर करता है और सम्बन्धित कर्मचारी रिट याचिका दायर करने सम्बन्धी सूचना से विभाग को समय से अवगत कराने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका/ अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा मे उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कार्मिक का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्यशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

नियम 14 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–14 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त घुड़सवार पुलिस कर्मियो की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। अगर किसी पद के लिए प्रोन्नति, परीक्षा के माध्यम से है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा प्रेषित अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। अगर प्रोन्नति	(2) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त घुड़सवार पुलिस कर्मियो की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ तथा एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी' ।

ज्येष्ठता के आधार पर है तो एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी। यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

नियम 16 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–16 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान उप नियम

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान
1.	उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	वेतन लेवल–7 44900–142400
2.	मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस	वेतन लेवल–4 25500–81100
3.	आरक्षी घुड़सवार पुलिस	वेतन लेवल–3 21700–69100

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान
1.	उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	वेतन लेवल–7 44900–142400
2.	अपर उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	वेतन लेवल–6 35400–112400
3.	मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस	वेतन लेवल–4 25500–81100
4.	आरक्षी घुड़सवार पुलिस	वेतन लेवल–3 21700–69100

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1158/XX-1/2022-01(15)2021 T.C., Dated October 20, 2022 for general information.

NOTIFICATION

October 20, 2022

No.1158/xx-1/2022-01(15)2021 T.C.--In exercise of the powers conferred sub section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2008 (Act no. 1 of 2008) the Governor is, in a view to amend the Uttarakhand Mounted Police Service Rules, 2018, makes the following rules:-

The Uttarakhand Mounted Police Service (Amendment) Rules, 2022

Short title, and commencement	1.	(1) These rules may be called the Uttarakhand Mounted Police Service (Amendment) Rules, 2022. (2) It shall come in to force at once.
Amendment in rule 3	2.	In the Uttarakhand Mounted Police Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing clause (a) and (j) of rule 3 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely: -

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(a) **"Appointing Authority"** means the Superintendent of Police Concerned regarding to the Constable Mounted Police and	(a) **"Appointing Authority"** means the Superintendent of Police Concerned regarding the Constable Mounted Police and Head Constable Mounted Police and

Head Constable Mounted Police and Inspector General/Deputy Inspector General regarding to the Sub-Inspector;	Inspector General/Deputy Inspector General regarding to the Sub-Inspector and Additional Sub Inspector Mounted Police;
(j) **"Service"** means the Uttarakhand Police Constable, Head Constable and Sub-Inspector Mounted Police Service;	(j) **"Service"** means the Uttarakhand Constable, Head Constable, Additional Sub-Inspector and Sub-Inspector Mounted Police Service;

Amendment of rule 5	**3.**	In the principal rules for the existing clause rule (B) and (C) of rule 5 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing clause**	**Column 2** **Clause here by substituted**
(B)(1) The selection of 50 percent of the total post of Head Constable Mounted Police shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Constables Mounted Police, who have completed 05 years of service in Mounted Police by including the first day in the probation period.	(B)(1) The selection of 100 percent of the total post of Head Constable Mounted Police shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Constables Mounted Police, who have completed 05 years of service in Mounted Police by including the first day in the probation period.
(2) The selection to 50 percent from amongst the substantively appointed Constables of Mounted Police, who have completed 05 years of service in Mounted Police, through Advance Course Selection Examination.	(2) Omitted.
	(3) **Additional Sub-Inspector-** The selection to 100 percent of the total posts of Additional Sub-Inspector Mounted Police shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst the such Head Constables Mounted Police, Who have completed 02 years of essential service on the post of Head Constable Mounted Police, by promotion.
(C)(1) The selection to 50 percent of the total posts of Sub-Inspector Mounted Police shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst the substantively	(C)(1) The selection to 100 percent of the total posts of Sub-Inspector Mounted Police shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit from amongst the substantively appointed Additional Sub Inspector Mounted Police, by promotion.

appointed Head Constables Mounted Police. Who have completed 05 years of service in Mounted Police by including the first day in the probation period.	
(2) The selection of 50% from amongst the substantively appointed Head constables of mounted Police who have completed 05 year including the probation period through examination on basis of qualification by promotion.	(2) Omitted.
Note: Only those candidates who have passed the qualifying test shall be considered for promotion to the post of Sub Inspector Mounted Police.	**Note:** Omitted.

Amendment of rule 8	**4.**	In the principal rules, for the existing rule 8 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(1) The process of promotion to the post of Head Constable Mounted Police: - The 50 percent of the total posts sanctioned for Head Constable Mounted Police shall be made by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Government Orders, and the remaining 50 percent from amongst the Constable Mounted Police on passing the "Promotion Advance Course Selection Exam": -	(1) **The process of promotion to the post of Head Constable Mounted Police:** - The 100 percent of the total posts sanctioned for Head Constable Mounted Police shall be promoted on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Government Orders.
(I) Constable Mounted Police who fulfill the following eligibility, conditions shall be eligible to appear in departmental test for Advance Course: -	
(A) **Age-** The age on the first day of recruitment year must have not been more 45 years.	

(B) **Experience**- must have completed 05 years' service as a Constable Mounted Police on the 01 st day recruitment year.	
(I) (C) **Service Record**- The service records for the last 5 years must have been satisfactory, no adverse entry must have been made and in the last 5 years integrity has not been questioned. If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected as punished in the departmental proceedings then, the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings / prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then the result of such employee shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. For the 5 years before the last 5 years 2 marks shall be deducted for a adverse entry of every years.	(I)(c) **Service Record:-** The service records for the last 5 years must have been satisfactory no adverse entry must have been made and in the last 5 years integrity has not been questioned.
(II)**Selection Committee**- For the eligible candidate a written test and physical efficiency test shall be organized by the selection committee to be constituted on police headquarters level. The chairman/member of the selection committee shall be as followsD -	(II)**Selection Committee**- Chairman/ member of selection committee shall be following officers: -
(a) An officer of the level of deputy Inspector General of Police - Chairman	(a) An officer of the level of Deputy Inspector General of Police - Chairman
	(b) Superintendent of Police/Commandant Rank Officer -Member
	(c) The Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police Level Officer shall be nominated to assist the selection committee as per the requirement. The above committee shall consist of at least an officer from the Scheduled Caste, Scheduled Tribes or any other backward classes.
	(A) Additional Sub-Inspector Mounted police
	(I) **Service Record**- The service records for the last 5 years must have been satisfactory no adverse entry must have been made and in the last 5 years integrity has not been questioned.
	(II)**Selection Committee**- Chairman/ Member of Selection Committee shall be consist the following officers: -
	(a) An officer of the level of Deputy Inspector General of Police - Chairman

(b) Superintendent of Police/ Commandant Rank Officer -Member

(c) The Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police Level Officer shall be nominated to assist the selection committee as per the requirement.

The above committee shall consist of at least on officer from the Scheduled Cast, Scheduled Tribes or any other backward classes.

(III) Written Test- The procedure of written test and evaluation of service record shall be as such as determined in Appendix-2.

(IV) Declaration of the result. The selection committee shall prepare a merit list by category wise is on the basis of total marks secured in the written exam and service records and the final merit list shall be prepared according to the prevalent rules of reservation.

(V) Determination of promotion, training and seniority of the Head Constable Mounted Police. All candidates who passed the departmental test shall undergo 03 months advance course in which their mutual seniority shall be decided on the basis of marks secured by them in advance training the candidates who have secured equal marks their mutual seniority shall be determined on the basis of their previous service on the post of Constable.

(VI) Selection to the post of Head Constable Mounted Police; The promotion to the post of Head Constable Mounted Police shall be given on the relatively vacant post at state level.

(b) Superintendent of Police/Commandant Rank Officer -Member

(c) The Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police Level Officer shall be nominated to assist the Departmental Selection Committee as per the requirement.

The above committee shall consist of at least on officer from the scheduled cast, scheduled tribes or any other backward classes.

(2) Procedure for the promotion to the post of Sub-Inspector Mounted Police;	(2) **Procedure for the promotion to the post of Sub-Inspector Mounted Police;**
(1) Service Period: It is compulsory to have rendered not less than 05years service as Head Constable Mounted Police.	**(1) Service Period:** who have completed the qualifying service of 1 year on the post of Additional Sub Inspector Mounted Police
(2) Determination of age: For promotion to the post of Sub-Inspector Mounted Police the maximum age of the candidate must not be more than 45 years on 1st January of the recruitment year. The Head Constable Mounted Police who fulfill the above qualifications shall be eligible to undergo state level eligibility test conducted for the selection on the post of Sub Inspector Mounted Police.	**(2) Omitted**
(3) Determination of number of post and constitution of selection committee: In every recruitment year the existing vacancies of Sub-Inspector and those which may fall vacant during the year shall be calculated. The selection committee nominated by Head of the Department shall conduct a departmental test under the subsequent provisions and the Head constables shall be nominated for the promotion and For the purpose of promotion in determination of number as per above from Head Constable Mounted Police to the post of Sub-Inspector Mounted Police, the Committee shall be constituted as under:-	**(3) Determination of number of post and constitution of selection committee:** In every recruitment year the existing vacancies of Sub-Inspector Mounted Police and those which may fall vacant during the year shall be calculated. For the purpose of promotion from Additional Sub-Inspector Mounted Police to the post of Sub-Inspector Mounted Police, the departmental selection Committee shall be constituted as under:-
1. Inspector General/ Deputy Inspector General of Police - Chairman	1. Inspector General/ Deputy Inspector General of Police - Chairman
2.Senior Superintendent / Superintendent of Police -Member	2.Senior Superintendent /Superintendent of Police - Member
3.Asstt/Addl. /Deputy Superintendent of Police – Member.	3. Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police – member.

The above committee shall consist of at least one officer from the Scheduled Caste, Scheduled Tribes or any other backward classes.	The above shall consist of at least one officer from the Scheduled Caste, Scheduled Tribes or any other backward classes.
(4) The selection committee so constituted shall conduct written outer test and evaluate the service records. The committee may appoint any expert having sufficient knowledge of horse riding.	
(5) **Written test:** The process of written test and evaluation of service record shall be as such as determined in Appendix-3.	
(6) **Declaration of result-** The merit list shall be prepared on the basis of written, outer test, service records and keeping in view the rules issued by the government from time to time for the reserved categories and the selection committee shall select such number of candidates equivalent to the number of vacancies, on the basis of merit list and shall declare the result after the approval of Police Headquarters.	
(7) The seniority shall be decided on the basis of the marks obtained in the final examination.	

Amendment of rule 9	**5.**	In the principal rules, for the existing rule 9 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
9. Such trained Head Constables who have completed 16 years of regular and satisfactory service on the substantive post of Constable and to whom the pay scale similar to the post of Sub-Inspector have been sanctioned, shall be given the designation of Head Constable (Promotional pay band). The fixation of duties of Head Constable (promotional pay band) shall be done by the Head of the Department and they shall wear the uniform like Assistant Sub-Inspector(M)	**9. Determination of uniform and duties of Additional Sub-Inspector:** Duties for the Additional Sub-Inspector post shall be determined by Head of Department. Additional Sub Inspector post holder shall wear a uniform like Sub-Inspector, only thread of whistle shall be of black colour.

Amendment of rule 9B	**6.**	In the principal rules, for the existing rule 9B as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column1 Existing rule	**Column1 Existing rule**
9B- Such employee against whom any type of departmental proceedings/ inquiry is pending or prosecution is registered or any type of appeal is pending and duration to appeal has not passed shall also be included continuously in promotion/ ranker examination on the basis of seniority, if in between examination procedure appeal of such employee is rejected /disapproved than he shall be debarred from selection procedure at that level. If appeal /departmental proceeding/ writ petition is not disposed of during promotional examination procedure then in anticipation of decision of pending appeal/ departmental proceedings their promotion result shall be sealed in the envelope. After completion of departmental proceedings/ appeal or final decision in prosecution in view of decision sealed envelope of concerned personnel shall be opened. Suspended person shall also be included in promotional procedure in anticipation of result.	**9B-** Such employee against whom any type of departmental proceeding/ inquiry is pending or offence is registered or any type of appeal is pending and duration to appeal has not passed shall also be included conditionally in on the basis of seniority, if in between of promotion procedure appeal of such employee is rejected /disapproved or punished in departmental proceeding/prosecution the concerned employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/ writ petition/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. After completion of inquiry/Departmental proceedings or final decision in trial in light of decision sealed envelope shall be opened. In anticipation of decision suspended employees shall be included in promotional procedure.

Amendment of rule 14	**7.**	In the principal rules, for the existing sub rule (2) of rule 14 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	**Column 2 Rules here by substituted**
(2) The seniority of Mounted Police personnel appointed through promotion shall be determined from the date of selection and the candidates selected in the previous year shall be treated senior to the candidates appointed on later year. If for any post promotion refers to test then their mutual seniority shall be determined as per selection list forwarded by	(2) The seniority of Mounted Police personnel appointed through promotion shall be determined from the date of selection and the candidates selected in the previous year shall be treated senior to the candidates appointed on later year and inter seniority of employee appointed in one selection date shall be in accordance with the Uttarakhand

the board. If the promotion has been made on the basis of seniority, then the mutual seniority of the candidate's appointment in a single day shall be on the basis of their seniority on their feeder cadre. Here the date of selection shall mean the date on which selection list was submitted by the board to the head of department of approval.	Government Servant Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

Amendment of rule 16	**8.**	In the principal rules, for the existing sub- rule (2) of rule 16 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1
Existing rule

(2)

SI. No	Name of Post	Pay matrix level Pay Scale
1.	Sub Inspector Mounted Police	Pay matrix Level-7 Pay Scal Rs 44900-142400
2.	Head Constable Mounted Police	Pay matrix Level-4 Pay Scal Rs 25500-81100
3.	Constable Mounted Police	Pay matrix Level-3 Pay Scal Rs 21700-69100

Column 2
Rules here by substituted

SI. No	Name of Post	Pay matrix level Pay Scale
1.	Sub Inspector Mounted Police	Pay matrix Level-7 Pay Scale Rs 44900-142400
2.	Additional Sub Inspector Mounted Police	Pay matrix Lekvel-6 Pay Scale Rs 35400-112400
3.	Head Constable Mounted Police	Pay matrix Level-4 Pay Scale Rs 25500-81100
4.	Constable Mounted Police	Pay matrix Level-3 Pay Scale Rs 21700-69100

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 1159/XX-1/2022-01(15)2021टी.सी.—राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा 3 सपठित 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, उप निरीक्षक, चालक, उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के पद समाविष्ट है।	उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, अपर उप निरीक्षक, चालक, उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के पद समाविष्ट है।

नियम 3 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क)" नियुक्ति प्राधिकारी" से आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक मोटर परिवहन के सम्बंध में सम्बंधित पुलिस अधीक्षक एवं उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के सम्बंध में पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिप्रेत है	(क)" नियुक्ति प्राधिकारी" से आरक्षी चालक एवं मुख्य आरक्षी चालक के सम्बंध में सम्बंधित पुलिस अधीक्षक एवं अपर उप निरीक्षक, चालक एवं उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के सम्बंध में पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिप्रेत है।

नियम 7 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड एवं खण्ड (घ) को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) उप निरीक्षक, मोटर परिवहन : उप निरीक्षक, मोटर परिवहन की शत्–प्रतिशत् पदों को मुख्य आरक्षी चालकों में से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा।	(ग) अपर उप निरीक्षक, चालक : अपर उप निरीक्षक, चालक के रिक्त पदों पर शत्–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर, ऐसे मुख्य आरक्षी चालक पदोन्नति हेतु अर्ह होगें, जो चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। (घ) उप निरीक्षक, मोटर परिवहन : उप निरीक्षक, मोटर परिवहन की शत्–प्रतिशत् पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर ऐसे अपर उप निरीक्षक, चालक पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे जो चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को अपर उप निरीक्षक चालक के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो।

नियम 8 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) के मद (ड) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम एवं उपनियम (घ) को निम्नानुसार अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) मुख्य आरक्षी चालक	(ख) मुख्य आरक्षी चालक
(ड) विगत पांच वर्ष में कोई छुद्र दण्ड न मिला हो	(ड) विलोपित
ऐसे आरक्षी चालक जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/ जांच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो, तो निर्णय की प्रत्याशा में उनका चयन परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।	परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो, ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है, तो सम्बंधित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा, परन्तु यदि सम्बंधित कर्मचारी निर्धारित समयावधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ रिट याचिका/ अभियोग परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके सम्बंध में विचार किया जायेगा तथा उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील–बन्द कर दिया जायेगा। जांच / विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के सादृष्य सम्बंधित कर्मी का सील–बन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।
(ग) <u>उप निरीक्षक, मोटर परिवहन</u>	(ग) <u>उप निरीक्षक, मोटर परिवहन</u>
1– **अर्हतायें:** उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के पद पर परिशिष्ट– ख में वर्णित प्रकिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी चालक में से भरी जायेंगी, जो निम्न पात्रता पूरी करते हो:–	उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के रिक्त पदों को शत्–प्रतिशत् ज्येष्ठता के आधार पर ऐसे अपर उप निरीक्षक चालक पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे, जो चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को अपर उप निरीक्षक चालक के पद पर 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा निम्नलिखित

(क) मुख्य आरक्षी, चालक के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
(ख) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हो।
(ग) विगत पांच वर्ष की अवधि में:–
(1)सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(2)कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(3)कोई लघु दण्ड न मिला हो या
(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो

पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों–
(ग) विगत पांच वर्ष की अवधि में:–
(1)सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(2)कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(3)कोई लघु दण्ड न मिला हो या
(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो, ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है, तो सम्बंधित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा, परन्तु यदि सम्बंधित कर्मचारी निर्धारित समयावधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ रिट याचिका/ अभियोग परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके सम्बंध में विचार किया जायेगा तथा उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील–बन्द कर दिया जायेगा। जांच/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के सादृष्य सम्बंधित कर्मी का सील–बन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) चयन समिति:– अपर उप निरीक्षक, चालक के पद हेतु चयन समिति के निम्न पदाधिकारी होगें:–

1–पुलिस उपमहानिरीक्षक– अध्यक्ष
2–पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी– सदस्य

(घ) अपर उप निरीक्षक, चालक:–

(क) अपर उप निरीक्षक, चालक के रिक्त पदों पर शत्–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर, ऐसे मुख्य आरक्षी चालक पदोन्नति हेतु अर्ह होगें, जो चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर 2 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) विगत पांच वर्षो का सेवाभिलेख संतोषजनक अर्थात् प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हों।

(ग) विगत पांच वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो एवं दीर्घ दण्ड न मिला हों

(घ) विगत पांच वर्ष में कोई लघु दण्ड न मिला हो।

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो, ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है, तो सम्बंधित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा, परन्तु यदि सम्बंधित कर्मचारी निर्धारित समयावधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ रिट याचिका/ अभियोग परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके सम्बंध में विचार किया जायेगा तथा उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील–बन्द कर दिया जायेगा। जांच /. विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के सादृष्य सम्बंधित कर्मी का सील–बन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) चयन समितिः– अपर उप निरीक्षक, चालक के पद हेतु चयन समिति के निम्न पदाधिकारी होगेंः–

1–पुलिस उपमहानिरीक्षक– अध्यक्ष
2–पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी–सदस्य

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

नियम 9 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के उपनियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम एवं उपनियम (4) को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) मुख्य आरक्षी चालकः चयन समिति द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हुये हों, उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक अवसर और प्रदान किया जायेगा। पुनः असफल घोषित होने पर उन्हें उनके पूर्व पद पर वापस भेजा जायेगा।	(2) मुख्य आरक्षी चालकः– चयन समिति द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण, जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जायेगा।
(3) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) चयन समिति द्वारा उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हुये हों, उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण करने का एक अवसर और प्रदान किया जायेगा। पुनः असफल घोषित होने पर उसके मूल संवर्ग पर वापस भेज दिया जायेगा।	(3) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) चयन समिति द्वारा उप निरीक्षक(मोटर परिवहन) के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जायेगा। (4) अपर उप निरीक्षक, चालक चयन समिति द्वारा अपर उप निरीक्षक, चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जायेगा।

नियम 10 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के उपनियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम एवं उपनियम (4) को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) मुख्य आरक्षी चालकः– निर्धारित प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी।	(2) मुख्य आरक्षी चालकः– मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित आरक्षियों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति आदेश मुख्यालय से निर्गत किये जायेगें। तदोपरान्त मुख्य आरक्षी चालक के पदोन्नति प्रशिक्षण में भेजा जायेगा।
(3) उप निरीक्षक, मोटर परिवहन : निर्धारित प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के पद पर	(3)उप निरीक्षक, मोटर परिवहन – उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अपर उप निरीक्षक, चालक को उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के

कार्यभार ग्रहण की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी।	पद पर पदोन्नति आदेश मुख्यालय से निर्गत किये जायेगें। तदोपरान्त उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के पदोन्नति प्रशिक्षण में भेजा जायेगा। (4) अपर उप निरीक्षक, चालकः– अपर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित मुख्य आरक्षियों को अपर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश मुख्यालय से निर्गत किये जायेगें। तदोपरान्त अपर उप निरीक्षक चालक के पदोन्नति प्रशिक्षण में भेजा जायेगा।

नियम 14 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम एवं उपनियम (4) को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन): एक चयन से चयनित उप निरीक्षक(मोटर परिवहन) की ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी चालक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी। पूर्ववर्ती चयन का उप निरीक्षक(मोटर परिवहन) पश्चात्वर्ती चयन में नियुक्त उप निरीक्षक(मोटर परिवहन) से ज्येष्ठ होगा।	(3) उप निरीक्षक, मोटर परिवहनः– उप निरीक्षक, मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु अपर उप निरीक्षक, चालक के पद की अंतिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी। (4) अपर उप निरीक्षक, चालकः– अपर उप निरीक्षक, चालक के पद पर पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता का निर्धारण मुख्य आरक्षी चालक के पद की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित होगी।

नियम 16 का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मुख्य आरक्षी चालक से आवश्यकतानुसार वाहन चालने का कार्य भी लिया जा सकता है।	(1) मुख्य आरक्षी चालक का कार्य मुख्य आरक्षी चालक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन संचालन का कार्य किया जायेगा। 16(2) अपर उप निरीक्षक, चालक पुलिस विभाग में जिन जिलों/वाहिनियों/शाखा में उप निरीक्षक, मोटर परिवहन का पद सृजित नहीं है, उन स्थानों में अपर उप निरीक्षक, चालक द्वारा प्रभारी मोटर परिवहन के दायित्वों का निर्वहन तथा उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य किये जायेगें।

नियम 17 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

क्र	पदनाम	वेतनमान
1	उप निरीक्षक, मोटर परिवहन	44900–142400, वेतन मैट्रिक्स, लेवल–7
2	मुख्य आरक्षी, चालक	25500–81100 वेतन मैट्रिक्स, लेवल–4
3	कान्स0 चालक	21700–69100 वेतन मैट्रिक्स, लेवल–3

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

क्र	पदनाम	वेतनमान
1	उप निरीक्षक, मोटर परिवहन	44900–142400, वेतन मैट्रिक्स, लेवल–7
2	अपर उप निरीक्षक, चालक	35400–124400 वेतन मैट्रिक्स, लेवल–6
3	मुख्य आरक्षी, चालक	25500–81100 वेतन मैट्रिक्स, लेवल–4
4	आरक्षी चालक	21700–69100 वेतन मैट्रिक्स, लेवल–3

नियम 18 का संशोधन

11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. ऐसे समस्त प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी चालक, जिन्होनें मौलिक पद (आरक्षी) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी चालक (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा और वे सहायक उप निरीक्षक(एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे।	**18. अपर उप निरीक्षक चालक की वर्दी एवं कार्यों का निर्धारणः–** अपर उपनिरीक्षक चालक पद हेतु कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अपर उपनिरीक्षक चालक पदधारक उपनिरीक्षक की भॉति वर्दी धारण करेंगें, मात्र सीटी डोरी काले रंग की होगी।

नियम 22 का संशोधन

12. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गयां नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रत्येक उपनिरीक्षक, मोटर परिवहन, मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालक का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।	प्रत्येक उपनिरीक्षक, परिवहन, अपर उप निरीक्षक, चालक, मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालक का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार कि या जायेगा।

नियम 23 का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रयेक उप निरीक्षक, मोटर परिवहन ,मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालक विभागाध्यक्ष द्वारा समय– समय पर निर्धारित वार्षिक शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।	प्रत्येक उप निरीक्षक, मोटर परिवहन , अपर उप निरीक्षक, चालक, मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालक विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित वार्षिक शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1159/XX-1/2022-01(15)2021 T.C., Dated October 20, 2022 for general information.

NOTIFICATION

October 20, 2022

No.1159/xx-1/2022-01(15)2021 T.C.--In exercise of the powers conferred by section 3 read with sub-section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2008(Act no. 1 of 2008), the Governor is pleased to make the following rules in a view to amend the Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub-Ordinate Service Rules, 2018:-

The Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub-Ordinate Service (Amendment) Rules, 2022

Short title and commencement	1.	(1) These rules may be called the Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub-Ordinate Service (Amendment) Rules, 2022. (2) It shall come in to force at once.
Amendment in rule 2	2.	In the Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub-Ordinate Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing rule 2 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely: -

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
The Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub-Ordinate Service which comprises Constable Driver, Head Constable Driver, Sub-Inspector (Motor Transport) Post.	The Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub-Ordinate Service is a state service which comprises Constable Driver, Head Constable Driver, Additional Sub-Inspector Driver, Sub-Inspector (Motor Transport) Post.

Amendment of rule 3	**3.**	In the principal rules, for the existing sub rule (a) of rule 3 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(a) **"Appointing Authority"** means the Superintendent of Police Concerned in respect of Constable Driver, Head Constable Driver and Deputy Inspector General in respect to Sub-Inspector (Motor Transport);	**(a) "Appointing Authority"** means the Superintendent of Police Concerned in respect of Constable Driver, Head Constable Driver and Deputy Inspector General in respect of Additional Sub-Inspector, Driver, Sub-Inspector (Motor Transport);

Amendment of rule 7	**4.**	In the principal rules, for the existing clause (c) of rule 7 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted and sub rule (d) shall be inserted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(b) Sub-Inspector (Motor Transport): - 100% posts of Sub-Inspector (Motor Transport) shall be filled from amongst the Head-constable Drivers through departmental exam.	(c) **Additional Sub Inspector, Driver** – Such Head Constable, Driver shall be eligible for promotion on the 100 percent vacant post of Additional Sub Inspector, Driver on the basis of seniority rejecting the unfit, who has completed the qualifying service of 02 years on the post of Head Constable Driver on first July of selection year. (d) **Sub-Inspector, Motor Transport** – Such Additional Sub-Inspector, Driver shall be eligible for promotion on the 100 percent vacant post of Sub Inspector, motor Transport on the basis of seniority rejecting the unfit, who has completed the qualifying service of 02 years on the post of Additional Sub Inspector, Driver on first July of selection year.

Amendment of rule 8	**5.**	In the principal rules, for the existing item (d) of subclause (1) of clause (B) of rule 8 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted and sub-rule (D) shall be inserted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(B) Head Constable Drivers: - (c) During last five years no minor punishment has been awarded. Such Constable Drivers against whom any departmental action or investigation is	**(B) Head Constable Drivers: -** **(c) Omitted.** Provided If the appeal of the delinquent employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceedings

undergoing or any charge has been registered, then. In anticipation of the outcome of the findings, their result shall be kept in sealed envelope.	is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected if punished in the departmental proceedings/ prosecution, the concerned employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself. However, if the appeal/departmental proceedings/writ petition/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. After completion of inquiry/Departmental proceedings or final decision in trial in view of decision sealed envelope shall be opened. In anticipation of decision suspended employees shall be included promotional procedure.
(c) Sub-inspector (Motor Transport): - (1) **Eligibility:** - The post of Sub-Inspector (Motor Transport) shall be filled out of Head-Constable Drivers as per procedure given in Annexure-B Who fulfills the following eligibility: - (a) Have Completed five years' service as Head Constable Driver. (b) Has not been found unsuccessful in yearly medical test. (c) During the last five years; - (1) The integrity has not been withheld; or (2) Has not been awarded any major punishment; or (3) Had not been awarded any minor punishment; or (4) No adverse entry has been made.	**(c) <u>Sub Inspector, Motor Transport</u>** Such Additional Sub Inspector Driver shall eligible of promotion on 100 percent vacant post of Sub Inspector motor transport on the basis of seniority who have completed the service of 02 years on the post of Additional Sub-Inspector Driver and fulfills the eligibility criteria:- (c) During the last five years :- (1) The integrity has not been withheld; or (2) Has not been awarded any major punishment; or (3) Has not been awarded any minor punishment; or (4) No adverse entry has been made. Provided If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the

	appeal of such employee is dismissed/rejected of he is punished in the departmental proceedings/prosecution, the concerned employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself. However, if the appeal/departmental proceedings/writ petition/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. After completion of inquiry/Departmental proceedings or final decision in trial in view of decision sealed envelope shall be opened. In anticipation of decision suspended employees shall be included promotional procedure. (2) Selection Committee: - Additional Sub Inspector, Driver post selection committee shall consist of following officers: - 1-Deputy Inspector General Police-Chairman 2-Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police Level 02 Officers- member (d) **Additional Sub inspector, Driver: -** (a) Such Head Constable, Driver shall eligible of promotion on 100 percent vacant post of Additional Sub Inspector Driver on the basis of seniority who has completed the service of 2 years on the post of Head Constable Driver. (b) Satisfactory service record of last five years namely no adverse entry made. (c) During last five-year integrity is not withheld and no major punished is awarded. (d) During last five year no major punished is awarded.

	Provided If the appeal of the delinquent employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected if he is punished in the departmental proceedings/prosecution, the concerned employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/writ petition/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then, in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. After completion of inquiry/Departmental proceedings or final decision in trial in light of decision sealed envelope shall be opened. In anticipation of decision suspended employees shall be included promotional procedure. (2) **Selection Committee:** - Additional Sub-Inspector, Driver post selection committee shall consist of following officers: - 1-Deputy Inspector General Police-Chairman 2-Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police Level 02 Officers- member The selection committee shall compulsorily consist of at least on officer from the Scheduled Caste, Scheduled tribes or any other backward classes.

Amendment of rule 9	**6.**	In the principal rules, for the existing sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 9 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted and sub-rule (4) shall be inserted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(2) Head Constable Driver: - The list of candidates selected for the post of Head Constable, Driver shall be provided by the selection committee to Police Headquarter. The selected candidates shall be required to successfully undergo three months training as determined by the Police Head Quarters and such selected candidates declared unsuccessful in training shall be given one more chance to complete the training. Being declared fail again, they shall be reverted back to their parent cadre. (3) Sub-Inspector(Motor Transport:- The list of candidates selected for the post of Sub-Inspector(Motor Transport) shall be provided by the selection committee to the Police Headquarters. The selected candidates shall be required to successfully undergo three months training as determined by the Police Headquarters and such selected candidates declared unsuccessful in training shall be given one more chance to complete the training. Being declared fail again they shall be reverted back to their parent cadre.	**(2) Head Constable Driver:** - The list of candidates selected for promotion on the post of Head Constable Driver shall be provided by the selection committee to Police Headquarters. Training of selected candidate shall be as prescribed by Head of Department. **(3) Sub-Inspector (Motor Transport):-** The list of candidates selected for promotion on the post of sub-inspector (Motor Transport) shall be provided by the selection committee to the Police Headquarter. Training of selected candidate shall be as prescribed by Head of Department. **(4) Additional Sub Inspector, Driver:-** The list of candidates selected for promotion on the post of Additional Sub-Inspector, Driver shall be provided by the selection committee to the Police Headquarters. Training of selected candidate shall be as prescribed by Head of Department.

Amendment of rule 10	**7.**	In the principal rules, for the existing sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 10 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted and sub-rule (4) shall be inserted, namely:-

Column 1 **Existing sub-rule**	**Column 2** **Sub-rules here by substituted**
(2) Head Constable Driver: - The candidate declared successful in prescribed training shall be granted promotion by the Appointing Authority, from the date of assumption of charge on the post of Head Constable Drivers.	**(2) Head Constable Driver:** - Promotion order on post of head constable driver, to constables selected for promotion on the post of head constable, driver shall be issued by headquarters. After that head constable driver shall be send for promotional training.

(3) **Sub-Inspector (Motor Transport:-** The candidate declared successful in prescribed training shall be granted promotion by the Appointing Authority, from the date of assumption of charge on the post of Sub-Inspector (Motor Transport).	(3) **Sub-Inspector (Motor Transport):-** Promotion order on post of Sub-Inspector, Motor Transport, to Additional Sub-Inspector, Driver selected for promotion on the post of Sub-Inspector, Motor Transport, shall be issued by headquarters. After that Sub-Inspector, Motor Transport shall be sent for promotional training. (4) **Additional Sub-Inspector, Driver:-** Promotion order on post of Additional Sub Inspector, Driver to head constable, Driver selected for promotion on the post of Additional Sub-Inspector, Driver shall be issued by headquarters. After that Additional Sub-Inspector, Driver shall be send for promotional training.

Amendment of rule 14	**8.**	In the principal rules, for the existing sub-rule (3) of rule 14 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted and sub rule (4) shall be inserted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
(3) Sub-Inspector (Motor Transport): The seniority of a Sub Inspector (Motor Transport) selected through one selection shall be determined on the basis of final seniority list of Head Constable.	**(3) Sub-Inspector (Motor Transport):** for promotion on post of Sub Inspector, Motor Transport shall be determined on the basis of final seniority list of Additional Sub Inspector, Driver. **(4) Additional Sub-Inspector, Driver: -** for promotion on post of Additional Sub Inspector, Driver shall be determined on the basis of final seniority list of Head Constable, Driver.

Amendment of rule 16	**9.**	In the principal rules, for the existing rule 16 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
The Head Constable Driver shall be required to work as a driver as per requirements.	**(1) Work of Head Constable Driver** Senior Officers vehicle shall be driven by Head Constable Driver. 16(2) Additional Sub-Inspector, Driver Those District/Platoon/Branch in Police Department Sub-Inspector, Motor Transport post is not sanctioned, in those places Additional Sub-Inspector, Driver shall fulfill the duties of Motor transport in charge and shall do the work assigned by senior officers.

Amendment of rule 17	**10.**	In the principal rules, for the existing rule 17 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1
Existing rule

Sl. No.	Name of Post	Pay Matrix Level Pay Scale
1	Sub-Inspector Motor Transport	Pay Matrix Level-7 Pay Scale Rs. 44900-142400
2	Head Constable, Driver	Pay Matrix Level-4 Pay Scale Rs. 25500-81100
3	Constable, Driver	Pay Matrix Level-3 Pay Scale Rs. 21700-69100

Column 2
Rules here by substituted

Sl. No.	Name of Post	Pay Matrix Level Pay Scale
1	Sub Inspector Motor Transport	Pay Matrix Level-7 Pay Scale Rs. 44900-142400
2	Additional Sub Inspector, Driver	Pay Matrix Level-6 Pay Scale Rs. 35400-112400
3	Head Constable, Driver	Pay Matrix Level-4 Pay Scale Rs. 25500-81100
4	Constable, Driver	Pay Matrix Level-3 Pay Scale Rs. 21700-69100

Amendment of rule 18	**11**	In the principal rules, for the existing rule 18 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	**Column 2 Rules here by substituted**
18. All such trained Head Constable Drivers who have rendered 16 years of regular satisfactory service on the substantial post of constable and who have been sanctioned equivalent pay scale as to the post of Sub-Inspector shall be designated as Head Constable Driver (promotional pay scale) and shall wear uniform as Assistant Sub-Inspector(M).	**18. Determination of uniform and duties of Additional Sub-Inspector:** Duties for the Additional Sub-Inspector post shall be determined by Head of Department. Additional Sub-Inspector post holder shall wear a uniform like Sub-Inspector, only thread of whistle shall be of black colour.

Amendment of rule 22	**12.**	In the principal rules, for the existing rule 22 as set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
Every Sub-Inspector (Motor Transport), Head Constable Driver and Constable Driver shall compulsorily go under medical examination every year according to order issued by Government from time to time. The medical examination shall be carried out by the Chief Medical Officer of the district according to relevant rules.	Every Sub-Inspector (Motor Transport), Additional Sub-Inspector, Driver, Head Constable Driver and Constable Driver shall compulsorily go under medical examination every year according to order issued by Government from time to time. The medical examination shall be carried out by the Chief Medical Officer of the district according to relevant rules.

Amendment of rule 23	**13.**	In the principal rules, for the existing rule 23 as set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
Every Sub-Inspector (Motor Transport), Head Constable Driver and Constable Driver shall undergo an annual Arms firing and training practice as determined by the head of department from time to time.	Every Sub-Inspector (Motor Transport), Additional Sub-Inspector, Driver, Head Constable Driver and Constable Driver shall undergo an annual Arms firing and training practice as determined by the head of department from time to time.

By Order,

RADHA RATURI,

Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/680–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2022 ई0 (कार्तिक 21, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 17, 2022

No. 332/XIV-a/34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 28 days w.e.f. 31.08.2022 to 27.09.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 18, 2022

No. 333/UHC/Admin.(A)/2022--Following Personal Assistants are promoted to the post of Private Secretary in the pay scale of ₹ 67700-208700 (Level-11) in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of their taking over charge:-

1. Sri Arpan Jaiswal.
2. Ms. Naheed Parveen.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
VIVEK BHARTI SHARMA,
Registrar General.

NOTIFICATION

October 21, 2022

No. 334/XIV-a-45/Admin.A/2008--Shri Malik Mazhar Sultan, District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 12.09.2022 to 17.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 & 11.09.2022 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 18.09.2022 and 19.09.2022 as Sunday holiday and local holiday respectively.

NOTIFICATION

October 21, 2022

No. 335 UHC/XIV/54/Admin.A/2008--Shri Prem Singh Khimal, District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 19.09.2022 to 01.10.2022 with permission to suffix 02.10.2022 to 05.10.2022 as Mahatma Gandhi Jayanti & Dussehra holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/680–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2022 ई0 (कार्तिक 21, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरा नाम हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के सर्टीफिकेट में बबीता पुत्री चतर दत्त अंकित है जबकि ग्रेजुएशन (B.Ed.) के सर्टीफिकेट में मेरा नाम बबीता जोशी पुत्री चतर दत्त जोशी है। बबीता पुत्री चतर दत्त तथा बबीता जोशी पुत्री श्री चतर दत्त जोशी दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बबीता जोशी पुत्री चतर दत्त जोशी
निवासी ग्राम निनुस, पो.ओ. दार्मीगाड
तहसील त्यूनी, देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ चमोली

सार्वजनिक सूचना

03 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 134/ठेकेदारी उपविधि/2022–23—नगर पंचायत बदरीनाथ की अधिनियम.1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा.298 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पंचायत बदरीनाथ के निर्माण कार्या के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिये पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि बनायी गयी है। जो नगर पालिका अधिनियम.1916 की धारा.301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर प्रभाव पडने वाला हैं, उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बदरीनाथ कैम्प कार्यालय पर्यटक आवास गृह निकट कैनरा बैंक जोशीमठ चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- **परिभाषा–**

(1) यह उपविधि नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली के ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि.2020 कहलायेगी तथा गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।
(2) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ जनपद चमोली से हैं।
(3) अधिनियम का तात्पर्य नगर पंचायत अधिनियम 1916(यू0पी0म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0-2, 1916 तथा संशोधित) जो कि वर्तामन में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है, से है।
(4) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ के प्रभारी अधिकारी से हैं।
(5) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली से हैं।
(6) पंजीकरण का तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा कराये गये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकदारों के पंजीकरण से है।
(7) ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत बदरीनाथ में सम्पूर्ण निर्माण कार्य जो संविदा अन्तर्गत आते हो, का करने का ईच्छुक हैं।
(8) श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय श्रेणी से हैं।

- **पंजीकरण की प्रक्रियाः**

नगर पंचायत के निर्माण कार्य के सम्पाद एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की तीन श्रेणियां होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है।

1. वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा, जनपद या उत्तराखण्ड प्रदेश में कम से कम 05 वर्ष से निवास करता हो। इसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज को फोटो देना अनिवार्य होगा।
2. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा) निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं-

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए -	30.00 लाख
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए -	10.00 लाख
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए -	2.00 लाख

3. **प्रथम श्रेणी-** प्रथम श्रेणी मे पंजीकरएण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पालिका एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सडक /नाली एवं भवन निर्माण का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबधं (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगें। इसके अतिरिक्त स्वयं की तकनीकी अभियंन्ता एवं टी0एण्ड0पी0 मिक्सचर मशीन एवं बाईब्रेटर आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र, अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
4. **द्वितीय श्रेणी-** द्वितीय श्रेणी मे पंजीकरएण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 20.00 लाख के अनुबधं (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगें। अनुभव प्रमाण-पत्र, अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
5. **तृतीय श्रेणी-** तृतीय श्रेणी मे पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग में कम से कम एक वर्ष का कार्य किया गया हो) का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
6. समय–समय पर अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की संस्तुति पर श्रेणियों की शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।
7. प्रत्येक ठेकेदार को आयकर व व्यापार पर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देना होगा तथा पंजीकरण नम्बर के अभिलेख की छायाप्रति देनी होगी।

8. पंजीकरण की अवधिः

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेगें, तत्पश्चात् नही। पंजीकरण के निर्धारित प्रार्थना-पत्र के प्रारुप 200-00 पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारुप पर मान्य होगा जो अवर अभियन्ता की आख्या पर अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की संस्तुति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात् ही पंजीकरण शुल्क एंव जमानत शुल्क जमा किया जायेगा।

9. पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्कः-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रुप में पालिका कोष में जमा करना होगाः.

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए -	5,000-00
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए -	4,000-00
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए -	3,000-00

प्रत्येक दो वर्ष बाद नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण करते समय हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, एवं निम्न प्रकार शुल्क जमा करना होगा।

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए -	5,000-00
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए -	4,000-00
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए -	3,000-00

10. जमानतें

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रुप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना-पत्र के साथ देना होगा।

(क)	प्रथम श्रेणी के लिए -	10,000-00
(ख)	द्वितीय श्रेणी के लिए -	5,000-00
(ग)	तृतीय श्रेणी के लिए -	5,000-00

11. निर्माण के संपादन की सीमा.

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारो को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा।

(1) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि) के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगे।

(2) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार 40.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगे।

(3) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार 20.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगे ।

12. नगर पंचायत बदरीनाथ में पंजीकरण ठेकेदार को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा.

1. चरित्र प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक द्वारा।
2. पेन नम्बर
3. GST नम्बर
4. हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्राप्त।
5. अनुभव प्रमाण-पत्र किसी भी इंजीनियर विभाग से प्राप्त।
6. बैंक पास बुक प्रतिलिपि।

13. निविदा प्रपत्र की लागतः.

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि परा निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः.

क्र०सं०	कार्य का लागत	निविदा मूल्य में
1	1,00,000.00 से 5,00,000.00 तक	500.00
2	5,00,000.00 से 10,00,000.00 तक	1000.00
3	10,00,000.00 से 20,00,000.00 तक	1500.00
4	30,00,000.00 से 40,00,000.00 तक	2000.00
5	40,00,000.00 से 50,00,000.00 तक	3000.00
6	50,00,000.00 से 1,50,00,000.00 तक	4000.00

14. निविदा स्वीकार करने का अधिकारः.

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का होगा परन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक को होगा। इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती है। निविदा डालने के 6 माह बाद तक ठेकेदार उन्ही दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

15. धरोहर राशिः.

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्यूरमेंट नियम) में किये गये प्रावधान के अनुसार स्थायी/जमानत धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगा। ऐसी प्रतिभूति को पूर्व के कार्यो में जमा प्रतिभूति के रुप में मान्य नही किया जायेगा। जब तक कि उन्हे अवमुक्त नही किया गया हो।

16. ठेकेदार का भुगतान

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर। व्यापार कर एवं 10 प्रतिशत जमानत की राशि काटने के उपरांत भुगतान किया जा सकेगा। जमानत राशि का भुगतान 1 वर्ष के बाद सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जा सकेगा।

17. कार्य करने की अवधिः.

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म दी गई कार्य अवधि के अत्रतगत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नही किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढानें हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया हो अवर अभियन्ता एंव अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढानें की स्वीकृति एक बार प्रदालन की जा सकती है। यदि ऐसा न किया गया तो ठेकेदार के विरुद्व कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली मे निहीत प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत तक कटौती कर ली जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्ध में भी आवश्यक रुप से किया जायेगा।

18. पंजीकरण निरस्तीकरणः.

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नही करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरुप नही करता है या कार्य को किसी को सबलेट करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर प्रभारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची मे ला सकता है। पंजीकरण के निरस्तीकरण के फलस्वरुप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा। इसका उल्लेख अनुबन्ध में भी किया जायेगा।

19. जमानत जब्त करने का अधिकारः.

यदि ठेकेदार पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तो, अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन कर पंचायत को कोई हानि पंहुचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अपर अभियन्ता अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर प्रभारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पति से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी, इसका उल्लेख अनुबन्ध में भी किया जायेगा।

सुनील पुरोहित,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बद्रीनाथ,
जिला चमोली

अनिल कुमार चन्याल,
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत बद्रीनाथ,
जिला चमोली

कार्यालय– नगर पंचायत बदरीनाथ चमोली

सार्वजनिक सूचना

18 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक 442/भवनकर उपविधि/2020–21–नगर पंचायत बदरीनाथ की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 (1)(i) के तहत भवनों या भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य सम्पत्ति कर/भवनकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा पूर्व उपविधि को अतिक्रमित करते हुए सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2020 बनायी गयी हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला है उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियों अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बदरीनाथ कैम्प कार्यालय, पर्यटक आवास गृह निकट कैनरा बैंक जोशीमठ चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"सम्पति/भवनकर उपविधि-2020"

1- **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-**

(1)- यह उपविधि नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली सम्पति/भवनकर उपविधि-2020 कहलायेगी।

(2)- यह उपविधि नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली की सीमाओं में प्रवृत्त होगीं।

(3)- यह उपविधि नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली द्वारा प्रख्यात अथवा शासकीय गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगीं।

2- **परिभाषाऐं-**

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

1. "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ, जनपद चमोली से है।
2. "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ जनपद चमोली की सीमा से हैं।
3. "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ चमोली से हैं।
4. "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ के प्रभारी अधिकारी से हैं।
5. "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ के प्रभारी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी से हैं।
6. "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत) से हैं।
7. "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-140 व धारा-141 के अर्न्तगत वार्षिक मूल्य से है।
8. "सम्पति/भवनकर" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अर्न्तगत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से हैं।
9. "समिति" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।
10. "भवन एवं भूमि" से तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि से है।
11. "स्वामी" का तात्पर्य भवन एंव भूमि के स्वामी से है।
12. "अध्यासी" का तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3- **वार्षिक मूल्यांकन-** नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एंव निर्मित भवन पर सम्पति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-141 (2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये नगर पालिका द्वारा समय-समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हों, या न हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पति का निरीक्षण कर सकते हैं। साम्पति/ भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनो, कॉलेजो, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन-निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित सैडयूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्यमय प्रचलित सर्किल रेट को जोडकर निकाली गयी धनराशि का 05 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अर्न्तगत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है, और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के प्रयोजन के लिये कलैक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किया गया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किये जायें।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अर्न्तगत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा मे यथास्थिति, ऐसे आवासीय एंव अनावासीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हो, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम् हों, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितयों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहां नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जिसमे एकरुपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो, का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती हैं।

1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रुप से की जायेगी-

(i) कक्ष- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ii) आछादित बरामदा-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह-आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(iv) गैराज- आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आछादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नही होगा।

2- उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3- सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र मे भवन एंव भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4- भूमि /भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर- भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत सम्पति/भवन कर लिया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित भवन एंव भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क)- मन्दिर अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाए जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है, तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होंगे।

(ख)- अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाए तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पतियों और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।

(ग)- नगर पंचायत की समस्त सम्पतियां।

5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एंव भवन के वार्षिक मूल्याकंन पर सम्पति/भवनकर निर्धारण हेतुं नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पति/भवनकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एंव निरीक्षण करना हो वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एंव निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपतियों को मोहल्ले /वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपति एंव निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6- आपतियों का निस्तारण- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपतियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा-104 के अर्न्तगत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी बोर्ड द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-112 के अर्न्तगत शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उपरांत निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(i) प्राप्त आपत्तियों की सुवनाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपतिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।

(ii) आपतियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

(iii) शासनादेश सं0-2054/नौ-9-97-79 ज/97 दिनांक 28' 06-1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एंव कर निर्धारण पर प्राप्त आपतियो की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

7- कर निर्धारण सूचियों का अभीप्रमाणीकरण और अभिरक्षा- (क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगा।

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी।

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत सम्पति/भवनकर की मांग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रुप से सूची दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-166 के अर्न्तगत दावो के वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

8- पंचवर्षीय भवनकर निर्धारण की औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् सम्पति /भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पति/भवनकर की धनराशि भवनस्वामी /अध्यासी को पंचायत कार्यालय अथवा निकाय द्वारा वसूली हेतु अधिकृत कार्मिक को जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, यदि सम्पतिकर /भवनकर की धनराशि 31 मार्च तक जमा नही होती है, तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत होगा अन्यथा बकाया अधिभार सहित भू-राजस्व के रुप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र (आर0सी0) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

9- सम्पति/भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष में 30 जुलाई तक सम्पति /भवनकर की धनराशि एकमुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जो बकाया सम्पति/भवनकर के बकायेदारों पर लागू नही होगी।

10- कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की ऐसेसमेंन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

11- जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रुप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 143-(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दे।

12- (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह कर लागू हो हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकारी हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने पर रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना प्रभारी अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू हैं, की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी का जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

(3) बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के यदि भवन निर्माण हुआ हैं, तो उस पर भी भवनकर लागू किया जायेगा, इस दशा में भवनकर की रसीदों को साक्ष्य के रुप में प्रयोग करना अवैधानिक माना जायेगा।

13- (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया हैं, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेगें।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी हैं) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हों, पेश करेगा।

14- उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा - 151 (1) से (5) तक दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत अनअध्यासन के कारण सम्पति कर/भवनकर मे तद्नुसार छूट प्रदान की जायेगी।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा- 299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत बदरीनाथ एतत् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लघंन करने के लिये अर्थदण्ड रु0-1000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लघंन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धि दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जायें कि अपराधी अपराध करता रहा हैं, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रु0 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता हैं।

सुनील पुरोहित,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बद्रीनाथ,
जिला चमोली

अनिल कुमार चन्याल,
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत बद्रीनाथ,
जिला चमोली

कार्यालय नगर पंचायत कपकोट जिला बागेश्वर

"सार्वजनिक सूचना"

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांक 10/2022–23—नगर पंचायत कपकोट क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 (i) 130 (क), (2), 140, 141, 141 –क, 141 ख, (1) (2) के साथ पठित नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके नगर क्षेत्रान्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक, गैर आवासीय, किराये के भवनों व्यवसायिक भवनों पर भवन कर निर्धारण करने हेतु **"सम्पत्ति एवं स्वकर निर्धारण"** उपविधि–2022 तैयार की गई है जो नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से अन्दर 30 दिवस के लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगरपंचायत कपकोट के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यविधि के दौरान उपलब्ध करानी होंगी। बाद मियाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

"सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण" उपविधि – 2022

1– संक्षिप्त शीर्षनाम और लागू होने की तारीख

(1) यह उपविधि नगरपंचायत कपकोट जिला बागेश्वर के सम्पूर्ण सीमान्तर्गत स्थित भवनों पर आरोपित किये जाने हेतु तैयार की गई है जो "सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण" उपविधि – 2022 कहलाएगी

(2) यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाशायें –किसी विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में –

(क) " अधिनियम " का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 (यू0पी0 म्युनिस्पैलटीज एक्ट संख्या 2,1916) से हैं ।

(ख) " नगर का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट से है ।

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।

(घ) " "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के बोर्ड से हैं ।

(ड.) "अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कपकोट से है ।

(च) "प्रशासक" का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से है।

(छ) "अवर अभियन्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट में कार्यरत अथवा नगर पंचायत हेतु नामित अवर अभियन्ता से है ।

(ज) "कर निरीक्षक" का तात्पर्य कर निरीक्षक नगर पंचायत कपकोट अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित कर्मचारी से है ।

(झ) "कर संग्रहकर्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत में कार्यरत कर संग्रहकर्ता या ऐसे पालिका कर्मचारी से है जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा कर वसूली हेतु समय –समय पर अधिकृत किया गया हो ।

(ञ) "भवनों का समूह" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है ।

(ट) "कवर्ड एरिया" का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जिस भाग पर भवन निर्मित हैं।

(ठ) "आवासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग भवन स्वामी/अध्यासी/पट्टाधारक आदि द्वारा निवास हेतु किया जा रहा है।

(ड) " अनावासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो या जिससे आय सृजन हो रही हो।

(च) "खाली भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से जिसका उपयोग किसी भी रूप में यथा – आवासीय/व्यवसायिक/भण्डारण आदि के रूप में लगातार 90 दिन तक ना किया गया हो ।

(छ) व्यवसायिक अनुलग्न भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो (कृषि कार्य को छोड़कर)

(ज) "दूरी" का तात्पर्य मोटर मार्ग व भवन के मध्य हवाई दूरी या भूगत दूरी से जो कम हो लागू होगी ।

किसी भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण –

3–(1) नगर पंचायत द्वारा सूचना प्रकाशित कर के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी उपभोगकर्ता से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र "क" में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण भर कर प्रत्येक पांच वर्ष में कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र "क" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थलों को नियत कर सकता है ।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व–अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के साठ दिन भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "क" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।

(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासक के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "क" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(5) व्यवसायिक भवन के साथ अनुलग्न भूमि की माप व अनुलग्न भूमि पर कर निर्धारण यदि उसका उपयोग व्यवसायिक रुप में किया जा रहा हो तो उसी प्रकार आरोपित होगा जैसे वह भूमि कोई एक मंजिला भवन हैं।

(6) नगर में ऐसे समस्त स्थापित टावर, होर्डिंग वाले भवन, दूर संचार टावर या अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर, खुले स्थान पर पर प्रतिस्थापित किये गये हों की माप पर भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी ।

(7) नगर स्थित विद्युत विभाग के सार्वजनिक/निजि भूमि पर स्थापित किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल स्थापित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी में माप के अनुसार भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी ।

4– सम्पत्तियों का वर्गीकरण –

(1) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/ नगर पंचायत कपकोट द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत आने वाली सम्पत्ति/भवन की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात –

(क) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर :–

(ख) मोटरेबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी पर

(ग) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक तक की दूरी पर

(2) अधिशासी अधिकारी उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्णीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा –

(क) पक्का भवन आर0आर0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित या

(ख) अन्य पक्का भवन, या

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है ।

(3) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत कपकोट तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को 9 विभिन्न समूहों की अधिकतम् संख्या में व्यवस्थित करेगा –

(एक) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 छत सहित पक्का मकान ।

(दो) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 सहित पक्का भवन ।

(तीन) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 छत सहित पक्का भवन ।

(चार) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(पांच) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(छः) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(सात) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है ।

(आठ) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है

(नौ) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है ।

(नोट – सम्बन्धित भवनों की दूरी भवन के समीप स्थित मोटर मार्ग /जीपेबल मार्ग से हवाई दूरी के आधार पर आंकी जाएगी)

4 – (क) **न्यूनतम् मासिक किराये की दर का निर्धारण** – अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत कपकोट वार्ड के भीतर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कबर्ड एरिया की प्रति इकाई (वर्गफुट) न्यूनतम् मासिक किराये की दर तैयार करेगा और निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा –

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर और

(दो) भवन के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम् दर ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत कपकोट ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन करने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम् 30 दिन का समय देगा । प्राप्त आपत्तियों की पच्चीस भिन्न – भिन्न बण्डलों की अधिकतम् संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी । प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिए आपत्तियों रहेंगी । सभी आपत्तियों का निस्तारण अध्यक्ष/ प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा । यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय । आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चित किया जाएगा

(तीन)– आवासीय भवन का प्रस्तावित समस्त वार्डों के लिए कबर्ड एरिया की मासिक किराया दर प्रति वर्ग फिट/माह

क्र0सं0	वार्ड का नाम/नम्बर	पक्का भवन आर0सी0सी0/आर0वी0 छत			अन्य कच्चा भवन			कच्चा भवन		
		0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन	50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन	100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन	0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन	50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन	100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन	0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन	50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन	100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन

1	मण्डलखेत / 01	.35	.30	.25	.25	.20	.15	.15	.10	.05
2	कपकोट बाजार / 02	.35	.30	.25	.25	.20	.15	.15	.10	.05
3	शिवालय / 03	.35	.30	.25	.25	.20	.15	.15	.10	.05
4	भराडी / 04	.35	.30	.25	.25	.20	.15	.15	.10	.05
5	ऐठाण / 05	.35	.30	.25	.25	.20	.15	.15	.10	.05
6	पॉलीडुगरा / 06	.35	.30	.25	.25	.20	.15	.15	.10	.05
7	खीरगंगा / 07	.35	.30	.25	.25	.20	.15	.15	.10	.05

4.(ख) अनावासिक भवनों के आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उपनियम (4क) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है –

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	आवासीय भवन का व भाग जो किराये पर दिया हो	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
2	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलैक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल तीन स्टार तक, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का पांच गुना
3	प्रत्येक प्रकार के निजि क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र या कोचिंग	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
4	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
5	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान / विद्यालय (केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर के चार गुना
6	पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
7	मॉल्स,चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का छः गुना
8	सामाजिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, बारात घर और इसी प्रकार के भवन	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
9	औद्योगिक इकाइयां, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय (समस्त राजकीय चिकित्सालयों को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
10	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0वी0 टावर दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना
11	विद्युत विभाग के सार्वजनिक / निजि भूमि पर सीपित किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल सीपित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना
12	मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थल के ऐसे भवन जिनका उपयोग ,धर्मशाला, पड़ाव, मुसाफिरखाना,सराय के लिए होता है, को छोड़ कर अन्य भाग,भवन जिनका उपयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है या जिस भाग से कोई शुल्क या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता हो।	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का दो गुना
13	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
14	समस्त व्यवसायिक भवन से अनुलग्न भूमि जिसका उपयोग व्यवसायिक भवन के साथ व्यवसायिक रूप में किया जा रहा हैं।	भवन के निर्धारित प्रति वर्गफुट के कर के बराबर

4 – (ग) – कर निर्धारण – कर का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा –

(एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना – कबर्ड एरिया X निर्धारित प्रति वर्ग फुट क्षेत्रफल मासिक किराया दर X 12=

(दो) अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना –

आच्छादित क्षेत्रफल X अनावासिक भवनों की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर X 12=

(तीन) संदेय कर – ग (एक), ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत वार्षिक भवन कर देय होगा।

(चार) संदेय कर का उत्तरदायित्व – भवन स्वामी या अध्यासी या उपभोगकर्ता या पट्टादाता का यह उत्तरदायित्व होगा 5 बवह स्थानीय निकास द्वारा भवन/भूमि का विवरण/वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र "क" नगर निकाय से प्राप्त कर अपने भवन/प्रष्ठिान का पूर्ण विवरण व वार्षिक मूल्यांकन स्वयं निर्धारित कर उपनियम 04(ग) के अनुसार नगर पालिका को उपलब्ध करायेगा।

(पांच) ग (एक), ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर ग (तीन) के अनुसार नियम संदेय कर को जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर होगी।

अथवा

कोई कर दाता नियमावली के उपनियम 5 के द्वारा निर्धारित छुट का लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा 5 बवह प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर या उससे पूर्व देय कर को नगर पालिका कोष में जमा कर उक्त तिथि तक रसीद या सूचना प्राप्त कर लेवें।

(5) छूट – आवासिक भवनों के देय कर में छूट अनुमन्य होगी और जो निम्नानुसार होगी ।

1. भवन' कर वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर तक जमा करने की स्थिति में भवन स्वामी को देय भवन कर पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
2. भवन 20 से 30 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 5 प्रतिशत की छूट।
3. भवन 31 से 40 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 10 प्रतिशत की छूट।
4. भवन 41 वर्ष से अधिक पुराना होने पर देय कर में 15 प्रतिशत की छूट।

प्रतिबन्ध यह है कि –

1. उपरोक्त (3 –1) की छूट प्राप्त करने पर ही अन्य 2,3,4 में से किसी एक छूट (जो लागू हो) का लाभ प्राप्त किया जा सकता हैं।
2. उपरोक्त बिन्दु सं0 2,3,4 पर भवन कर से छूट प्राप्त करने हेतु भवन स्वामी भवन की आयुगणना व स्वामित्व प्रमाण हेतु निम्न अभिलेख मान्य होगा –

(क) खतौनी,विकय पत्र, दान पत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति

(ख) विहित प्राधिकारी, नगरपालिका या अधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति

(ग) भवन का सबसे पुराना विद्युत बिल.गृहकर रसीद/पानी का बिल या अन्य प्रमाण आदि जिसमें भवन की आयु की गणना आदि इंगित हो ।

1. नगर पालिका अधिनियम – 1916 की धारा 157 के तहत छूट अनुमन्य होगी।
2. भवन स्वामी, अध्यासी उपभोग कर्ता द्वारा भवन कर जमा न करने की स्थिति में भवन कर की वसूली नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 (क) के तहत भू–राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।

(6) स्वनिर्धारण – आवासिक भवन के विषय में भवन कर के भुगतान के लिए मुख्यतयः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और 4–ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुवे नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ इस नियमावली के प्रपत्र "क" में सम्पत्ति कर का विवरण अंकित करते हुए नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक यथा स्थिति प्रपत्र "क" के साथ नगर पंचायत कपकोट में धनराशि जमा कर सकेगा ।

(7) – कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना –

(1) सभी भवनों की कर निर्धारण सूची गणना के पश्चात निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी –

(क) भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर

या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथा स्थिति 'क' में सूचनायें न देने की स्थिति में अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर,

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे –

(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो, का नाम,

(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विर्निदिष्ट द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हों, सम्पत्ति का अभिधान,

(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है, यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भवन से अनुलग्न समूह के लिए कबर्ड एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर।

(पांच) भवन का कबर्ड एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छः) भवन निर्माण का वर्ष,

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,

(2) **स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची** – ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषयों में प्रपत्र "क" पर और अनावासिक भवनों, जिनके विषय में प्रपत्र पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा कर दिया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु भवन नियम 5 –क के उपलब्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होगे । प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सहीं नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ के पश्चात शास्ति अधिरोपित की जायेगी ।

(8)– स्वकर निर्धारण – किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ पालिका में नगद अथवा पालिका द्वारा अधिसूचित बैंक खाते में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकता है।

(9) शास्ति (1)– यदि किसी भवन स्वामी, अध्यासी, उपभोगकर्ता द्वारा उपविधि के उपबन्धों के अनुसार स्वकर निर्धाकरण सम्बन्धी सूचना/कोई तथ्य छिपता है त्रुटि करता है/भवन कर आंगणन में कमी करता है और ऐसा पाये जाने पर त्रुटि/छिपाये गये कर का दो से चार गुना जैसा कि कर निर्धारण समिति निर्धाकरण करें भवन स्वामी/अध्यासी/उपभोगकर्ता से वसूल किया जा सकेगा।

(2) – संदेय कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक पालिका कोष में जमा न करने पर आगामी वित्तीय वर्ष में संदेय कर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देना होगा जो प्रत्येक बकाया वर्ष पर लगातार लागू रहेगा।

(10) स्वामित्व – उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन मात्र पालिका करों की वसूली के प्रयोजनार्थ किया गया है संदेय कर से सम्पत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नवीन कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कपकोट।

गोविन्द सिंह विष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत कपकोट।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/680–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।